प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक : 23 मार्च , 2005

विषयः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गरमपानी जनपद नैनीताल में आवासीय भवनों की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/सी0एच0सी0/99/2002/27328 दिनांक 8. नवम्बर 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गरमपानी जनपद नैनीताल के भवन निर्माण हेतु रू0 31,77,000.00 (रू0 इकत्तीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 20,00,000.00 (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान करते हैं।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य करते समय लो0नि0विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7— कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8— एक सुरत प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11— आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मत किया गया है।

13— निर्माण के समय यदि किसी कारणवश परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14— निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15— धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाए।

16— उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़ें ।

17— उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0 15 के कालन–एक के अनुसार लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105– एलोपैथी, 05– रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण 24–वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन किया जायेगा।

18— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 1018/वित्त अनुभाग–2/2005 दिनांक 20.3.05 से प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0–1032(1)/XXVIII (3) 2004–03/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल ।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
6. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नैनीताल।
7. निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8. वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या 1032/xxviii(3)-2004-03/2003 दिनांक 23.3.05 का संलग्नक।

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून (वित्तीय वर्ष 2004-05)

अनुदान सं0 - 12

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी, 05-रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण 24-वृहत निर्माण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 0302-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य			परिव्यय के सापेक्ष अधिक वजन प्राविधान होने के कारण बेस चिकित्सालय रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना योजना के अंतर्गत धनराशि की बचत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण योजना में कम प्राविधान के कारण धनराशि की आवश्यकता है।
19452	-	-	19452	2000	29823	17452	
योग 19452	-	-	19452	2000	29823	17452	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग मे वजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 मे उल्लिखत प्रतिबन्धे एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

(07)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 1018 / वित्त अनु0-2/05
देहरादून : दिनांक 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

सं0-1032/xxviii(3)-2004-03/2003 दिनांक का संलग्नक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,